पधारे हुए है अतः ... 20/10/21 ....पेश हो।
आयंदा दिनांक

रीडर,
उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

दिनांक 1/11/21
पक्षकारान/वकुलाय उपस्थित

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलक्टर पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र पर प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का प्रशासन गाँवो के संग अभियान के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा / समझौता अथवा मेरिज के आधार पर विधि सम्मत निस्तारण किया जायेगा।

अतः इस पत्रावली में संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र पोमावा में आयंदा दिनांक 1/11/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

दिनांक 1/11/21
पक्षकारान/वकुलाय उपस्थित

यह पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र पोमावा पर बरोज आज पेश हुई। प्रशासन गाँवो के संग अभियान के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता हेतु समझाईश की गई, परन्तु पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता नहीं हो सका है।

अतः यह पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में आयंदा दिनांक 29/12/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

13/12/21 पत्रावली वादी के अधिवक्ता श्री मूलसिंह देवड़ा के प्रा० पत्र पर तलब की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय में विचाराधीन वाद में वर्तमान में पक्षकारान के बीच

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील नंबर व तारीख
	कोई विवाद नहीं रहा है, अतः उक्त वाद की कार्यवाही वादी गण की ओर से पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये वाद की कार्यवाही विड्रोल करवाना चाहता है। वर्तमान में विवाद नहीं रहने से वाद लम्बित रहने के कारण पुनः विवाद उत्पन्न होगा अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पुनः वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये उपरोक्त वाद जरिये विड्रोल खारीज फरमावे। हमने प्रार्थी/वादी को व उनके वकील को सुना। प्रार्थी व उनके वकील ने बताया कि हमारा बंटवारा आपसी राजीनामें से तस्दीक हो चुका है अतः वाद को जरिये विड्रोल खारीज किया जावे। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी को पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये वादी का वाद जरिये विड्रोल खारीज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)	